केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली संभाग
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, DELHI REGION
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
पुराना जे.एन.यू. परिसर, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110067
OLD JNU CAMPUS, NEW MEHRAULI ROAD, New Delhi- 10067
Email Id : ac1@kvsrodelhi.in Website : rodelhi.kvs.gov.in

फ.190350/2026/केविसं.(दि.सं.)/स.आ.(आर.के.पी.)/ 15407-15453 दिनांक: 14.09.2026

प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
दिल्ली संभाग ।

विषय: स्पेशल कैंपेन 6.0 के अंतर्गत विद्यालयों में "ई-कचरा (E-Waste) जागरूकता एवं संग्रहण अभियान" का आयोजन |

संदर्भ: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) का पत्र क्रमांक F.110336/01/2026/KVS(HQ)/Acad/SP दिनांक 07.09.2026।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा 2026 (01.09.2026 से 15.09.2026) के उपरांत, "मिशन लाइफ के अंतर्गत इको क्लब" के तत्वावधान में समस्त केंद्रीय विद्यालयों में ई-कचरा जागरूकता एवं संग्रहण अभियान चलाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह अभियान स्पेशल कैंपेन 6.0 का अभिन्न भाग है तथा विद्यालयी परिवेश में सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किया जा रहा है।

भारत प्रतिवर्ष लाखों टन ई-कचरा उत्पन्न करता है और इसके असुरक्षित निपटान से मृदा, वायु एवं भूजल प्रदूषित होकर बाल विकास तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भी पर्यावरणीय जागरूकता को शिक्षा के सभी विषयों में समाहित करने तथा विद्यार्थियों में व्यावहारिक एवं क्रिया-उन्मुख नागरिक दायित्व की भावना विकसित करने पर बल देती है। यह अभियान "मिशन लाइफ" के थीम-6 "ई-कचरे में कमी (Reduce E-Waste)" के भी सीधे अनुरूप है, जिसके अंतर्गत विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, पुनःउपयोग एवं सुरक्षित निष्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है।

यह अभियान निम्नलिखित दो चरणों में संचालित किया जाएगा:

| चरण | अवधि | मुख्य गतिविधियाँ |
|---|---|---|
| प्रारंभिक चरण (Preparatory Phase) | 15.09.2026 से 30.09.2026 तक | जागरूकता, संवेदीकरण, उन्मुखीकरण, ई-कचरा संग्रहण केंद्र की स्थापना तथा संग्रहण हेतु पूर्व तैयारी। |
| क्रियान्वयन एवं संग्रहण चरण (Implementation & Collection Phase) | 01.10.2026 से 31.10.2026 तक | वास्तविक संग्रहण, पृथक्करण, दस्तावेज़ीकरण तथा अधिकृत रीसाइक्लर/PRO के माध्यम से ई-कचरे का सुरक्षित निपटान/चैनलाइजेशन। |

उपर्युक्त के दृष्टिगत, समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने विद्यालयों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें:

- विद्यालय परिसर में एक सुरक्षित एवं सुस्पष्ट स्थान पर "ई-कचरा संग्रहण केंद्र" (E-Waste Collection Corner) की स्थापना की जाए, जिसमें सूखे व सुरक्षित कंटेनरों में पुराने केबल, फोन, कैलकुलेटर, चार्जर, की-बोर्ड आदि एकत्र किए जाएँ।
- विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं स्टाफ के लिए ई-कचरे के दुष्प्रभावों, उत्तरदायित्वपूर्ण निपटान एवं वृत्तीय अर्थव्यवस्था (circular economy) संबंधी जागरूकता कार्यक्रम/वेबिनार आयोजित किए जाएँ।
- पोस्टर-मेकिंग, ई-वेस्ट आर्ट इंस्टॉलेशन, निबंध लेखन, क्विज़ एवं अन्य अंतर-सदनीय (inter-house) सह-पाठ्यचारी गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।
- विद्यार्थियों को अभिभावकों की सहमति से घर के अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ऑडिट कर उन्हें विद्यालय के संग्रहण केंद्र में सुरक्षित रूप से जमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी अथवा स्टाफ किसी भी स्थिति में क्षतिग्रस्त लिथियम-आयन बैटरी, टूटे हुए CRT मॉनिटर, CFL लैंप अथवा रिसाव-युक्त सेल जैसी खतरनाक वस्तुओं को स्वयं न खोलें, न तोड़ें और न ही उनका डिस्मेंटलिंग करें (Zero Dismantling Rule)।
- एकत्रित ई-कचरे का संग्रहण एवं निपटान केवल CPCB/SPCB द्वारा प्रमाणित (authorised) रीसाइक्लर अथवा प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनाइजेशन (PROs) के माध्यम से ही किया जाए; असंगठित कबाड़ी/scrap dealers को ई-कचरा किसी भी स्थिति में न दिया जाए।
- संग्रहण के समय स्कूल नोडल अधिकारी की उपस्थिति में रीसाइक्लर द्वारा ई-कचरे का भार लिया जाए तथा विद्यालय को औपचारिक "E-Waste Handover Receipt" एवं "Recycling Certificate" प्राप्त की जाए।
- इको क्लब समन्वयक द्वारा विद्यार्थी सहभागिता, आयोजित कार्यशालाओं तथा एकत्रित ई-कचरे (किलोग्राम में) संबंधी आँकड़े नियमित रूप से Eco Clubs for Mission LiFE पोर्टल (https://ecoclubs.education.gov.in) पर अपलोड किए जाएँ।
- किए गए कार्यों की फोटोग्राफ्स, संक्षिप्त वीडियो एवं गतिविधि रिपोर्ट तैयार कर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु #SpecialCampaign6 हैशटैग के साथ सोशल मीडिया मंचों पर साझा की जाए तथा निर्धारित प्रारूप में क्षेत्रीय कार्यालय को समय से प्रेषित की जाए।

अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अपने-अपने विद्यालयों में उक्त अभियान की सक्रिय, दृश्यमान एवं सार्थक क्रियान्विति सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि गतिविधियाँ केवल औपचारिकतावश न होकर परिणाम-उन्मुख (outcome-oriented) एवं विद्यार्थियों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाने वाली हों।

भवदीय,

14/09/26

(रामकुमार पाणिग्राही)
सहायक आयुक्त